

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम


अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला
सांतपुर तहसील आबूरोड
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 61 वर्ष 2025

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
11.11.2025	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 24.09.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि रेस्पोजेन्ट कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की सूचना एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक कब से कार्यरत है। प्रतिनियुक्ति आदेश की प्रति एवं उसका मूल पदस्थापन किस कार्यालय में है, उसकी प्रति तथा उसको कौनसा प्रभार आवंटन है, उक्त आदेश की प्रति तथा रेस्पोजेन्ट कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 2003 दिनांक 05.03.2021 के तहत श्री मृत्युंजय भाई बीके को नोटिस जारी किया गया था, उसकी प्रमाणित प्रति तथा ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा शान्तिवन में बिना निर्माण स्वीकृति प्राप्त किए दो अवैध भवनों का निर्माण किया जा रहा है, उक्त अवैध निर्माण को रूकवाने हेतु की गई कार्यवाही की आदेशिका व जारी नोटिस की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 24.09.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि रेस्पोजेन्ट कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की सूचना एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक कब से कार्यरत है। प्रतिनियुक्ति आदेश की प्रति एवं उसका मूल पदस्थापन किस कार्यालय में है, उसकी प्रति तथा उसको कौनसा प्रभार आवंटन है, उक्त आदेश की प्रति तथा रेस्पोजेन्ट कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 2003 दिनांक 05.03.2021 के तहत श्री मृत्युंजय भाई बीके को नोटिस जारी किया गया था, उसकी प्रमाणित प्रति तथा ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा शान्तिवन में बिना निर्माण स्वीकृति प्राप्त किए दो अवैध भवनों का निर्माण किया जा रहा है, उक्त अवैध निर्माण को रूकवाने हेतु की गई कार्यवाही की आदेशिका व जारी नोटिस की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	<p style="text-align: right;">  (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरौही </p>